न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 35/2025 पुनर्विलोकन (रिव्यू) प्रार्थना पत्र

1. सरकार जरिये विनोद मीना प्रवर्तन निरीक्षक —प्रार्थीगण

बनाम

1. विक्रम पुत्र सतवीर निवासी मालखेडा जिला हनुमानगढ हाल निवासी सलावटिया ड्राईवर वाहन संख्या RJ23-GD-2140
2. राजकुमार पुत्र दिलीप कुमार निवासी सिंगढोला बारा बाठोट लक्ष्मणगढ जिला सीकर, मालिक वाहन संख्या RJ23-GD-2140
3. पार्टनर फर्म श्री बालाजी फ्यूल एनर्जी श्री ओमप्रकाश पुत्र केशरदेव निवासी सीकर एवं श्री राजकुमार पुत्र दिलीप कुमार निवासी सिंगढोला बारा बाठोट लक्ष्मणगढ जिला सीकर

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम विरूद्व

प्रकरण संख्या 26/2025 निर्णय 11.07.2025

उपस्थित –

1. श्री विभागीय पेरोकार अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री उदय सिंह चारण अधिवक्ता– विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.08.2025

प्रार्थी की ओर से पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र विरूद्व विपक्षीगणों के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख आई०ओ०सी०एल एवं राज्य स्तरीय समन्वयक (तेल उघोग) की लिखित शिकायत पर श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव(खाघ) के पत्र कमांक एफ77(1300)खा.वि./सत./आईओसीएल/2025 दिनांक 22.04.2025 के कम में सलावटिया स्थित टीटी RJ23-GD-2140 के विरूद्ध मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 सपठित ईसी एक्ट 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की गई। जिस हेतु प्रमुख शासन सचिव महोदय के पत्र के साथ अवैध बायोडीजल बिकी की सूची संलग्न थी। जिसमें सलावटिया स्थित उक्त टीटी RJ23-GD-2140 बिकी बिन्दु का भी उल्लेख किया गया है। कार्यवाही करते हुए वाहन मय भंडारित मिलावटी तेल को राजसात करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है किन्तु प्रार्थना

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

है जो पूरी तरह गैर कानूनी है। इस प्रकार उत्पादक कम्पनी जिसने तथाकथित बॉयोडीजल की आपूर्ति की है और टीटी सलावटिया की फर्म श्री बालाजी फ्यूल एनर्जी के वाहनों में विक्रय करने के लिए अनुबंधित कर रखा है जो पूरी तरह गैर कानूनी है। इस प्रकार उत्पादक जिसने तथाकथित बॉयोडीजल की आपूर्ति की है और टीटी सलावटिया की फर्म श्री बालाजी फ्यूल एनर्जी जिसने तथाकथित बायोडीजल को वाहनों में विक्रय करने का काम किया है दोनो ही अनुमत नहीं है एवं दोनो ने गैर कानूनी कार्य कर सरकार को आर्थिक हानि पहुचाई है एवं मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण)आदेष 2005 सपठित ईसी एक्ट 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन कर दण्डनीय अपराध किया है। अतः उपर्युक्त तथ्यों की दृष्टि में प्रकरण में पुनर्विचार कर राजसात करने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र न्यायालय में पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को सम्मन नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षीगणों की ओर से अधिकार पत्र पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि तथाकथित बॉयोडीजल के कारोबार के लिए बॉयोफ्यूल प्राधिकरण का पंजीकरण, जिला कलक्टर महो० की एन०ओ०सी, माप–बाट विभाग का कैलिब्रेशन प्रमाण पत्र आवश्यक है जबकि अप्रार्थी द्वारा जांच कार्यवाही के दौरान इस तरह के कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए। यह भी निवेदन है कि प्रकरण में 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रवर्तन निरीक्षक को भी बहस के दौरान अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। संक्षेप में तथाकथित बायोडीजल की आपूर्तिकर्ता MEE(My Eco Energy) कम्पनी की आपूर्ति अवैध है क्योंकि बायोडीजल प्राधिकरण जयपुर में यह कम्पनी उत्पादक/आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकृत नहीं है। तथाकथित विक्रय करने वाली फर्म श्री बालाजी फ्यूल एनर्जी भी अवैध है क्योंकि उसे बायोडीजल प्राधिकरण जयपुर द्वारा वाहनों में विक्रय के लिए अनुमत नहीं किया गया है। असल में MEE(My Eco Energy) कम्पनी ने अवैध रूप से टीटी सलावटिया की फर्म श्री बालाजी फ्यूल एनर्जी को वाहनों में विक्रय करने के लिए अनुबंधित कर रखा है जो पूरी तरह गैर कानूनी है। इस प्रकार उत्पादक कम्पनी जिसने तथाकथित बॉयोडीजल की आपूर्ति की है और टीटी

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिपादित किया है– '' Review error apparent on face of record , means an error which strike one or more looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points of where there may conceivably be two opinions.''

उक्त निर्णय के प्रावधान इस प्रकरण में भी लागू होते हैं।

प्रकरण संख्या 26/2025 निर्णय दिनांक 11.07.2025 में उभयपक्षों को सुना जाकर, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड एवं दस्तावेजात की जांच परीक्षण उपरांत पूर्णतया विधिक दृष्टि अपनाते हुये निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा पूर्व के निर्णय को त्रुटिपूर्ण बताया जाकर पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में नये तथ्य प्रस्तुत कर निर्णय को परिवर्तित कराना चाहता है, जो पोषणीय नहीं हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी के पुनर्विलोकन (रिव्यू) प्रार्थना पत्र में पुनरीक्षण का कोई आधार नहीं होने से यह पुनर्विलोकन (रिव्यू) प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य ठहरता है । अतएव–

आदेश

प्रार्थी ने पुनर्विलोकन (रिव्यू) प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए के प्रकरण संख्या 26/2025 निर्णय दिनांक 11.07.2025 के संबंध में प्रस्तुत किया हैं। इस न्यायालय के प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए के प्रकरण संख्या 26/2025 निर्णय दिनांक 11.07.2025 में अभिलेख के आधार पर आदेशों में भूल, चाहे तथ्य की हो या विधि की या तात्विक तथ्य की, अथवा आज्ञाकारिता की हो, कोई त्रुटि नही पायी गयी तथा प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए के प्रकरण के निर्णय में प्रथम दृष्ट्या कोई अशुद्वि नहीं हुयी एवं गणना में भी कोई त्रुटि नहीं रही हैं। प्रार्थी पुनर्विलोकन (रिव्यू) प्रार्थना पत्र में नये तथ्य प्रस्तुत कर निर्णय को परिवर्तित कराना चाहते हैं, जो विधि सम्मत नहीं होने से प्रार्थी के पुनर्विलोकन (रिव्यू) प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा